न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 29.11.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
29.11.22	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रा०पत्र T.I. सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13-12-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13.12.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 9.1.23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
9.1.23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रा०पत्र T.I. मे वकील उभयपक्षकारान ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में दिये गए तथ्यों को दोहराया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रत्यार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनस्टेम्पड, अनरजिस्टर्ड है, अत: मान्य नहीं है। अपने कथन के समर्थन न्यायिक दृष्टान्त R.L.W 2011 (2) RJ Page 805, R.L.W. 2001 (3) Raj Page 1605 RRD 2011 [illegible] Page 1568 [illegible] मे। वकील अप्रार्थी ने अपनी [illegible] निवेदन किया कि अप्रार्थी [illegible] प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर अस्थायी [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.06.30 18:03:26 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
	दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। बहस में वकील पक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। विवादित कृषि भूमि खसरा नं० 151 प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। वर्तमान में प्रार्थीगण रिकॉर्ड संयुक्त खातेदार दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनरजिस्टर्ड, अनस्टेम्प्ड होने के कारण सुविधा सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिकार्ड दस्तावेज तथा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को तार्फेसला वाद ग्राम देवपुरा पटवार मण्डल तलवास की कृषि भूमि खसरा संख्या 151 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.06.30 18:03:26 IST
Reason: SelfAttested